



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय
खड़गवाँ, जिला – मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtaveencollege@gmail.com

WEBSITE - http://govtmmcollegekhadgawan.in/

COLLEGE CODE - 3706

AISHE CODE - C-9695

SSR (Ist Cycle)

2.1.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC,ST,OBC,Divyangjan,etc.) as per applicable reservation policy (during the last five years.)

Response :

Sl. No.	Contents	Page (From....to....)
1	Scan copy of the letter issued by State Government indicating the reserved categories.	02-96
2	Number of seats year wise earmarked by the State Government for the reserved categories.	97-109
3	Final Admission list of students (first year Admission) indicating their category published and signed by the Principal.	110-190
4	Final Admission extract of the first year student's (ST,OBC,SC).	191-191


I.Q.A.C. Incharge


PRINCIPAL
Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
email:- registrarsua@yahoo.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक: 128/अकादमिक/प्रवेश मार्गदर्शिका/2017
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 10/6/2017

1. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संघटक महाविद्यालय
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017-18 के प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धान्त ।

सन्दर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल
इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 445/138/आउशि
/समन्वय/2017 रायपुर दिनांक 02.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

अतः सन्दर्भित मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त 2017-2018 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(बिगोद कुमार एक्का)
कुलसचिव

पृ.क्रमांक अकादमिक/प्रवेश मार्गदर्शिका/2017 अम्बिकापुर, दिनांक / /2017
प्रतिलिपि

01. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के सादर सूचनार्थ।
02. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को उनके पत्र क्रमांक 445/138/आउशि./समन्वय/2017 नया रायपुर, दिनांक 02.06.2017 के संदर्भ में।
03. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण/सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) की ओर सूचनार्थ।
04. प्रोग्रामर, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर(छ.ग.) को इस निर्देश के साथ की वे संलग्न प्रवेश मार्गदर्शिका को सरगुजा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।
05. राग्वन्धित नरती।



(डी.पी.एस.तिवारी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)

PRINCIPAL

Govt. Maa Mahatmaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur (C.G.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी 30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती मवन,
नया, रायपुर (छ.ग.)

00 --

क्रमांक / 1115 138 / आउशि / समन्वय / 2017

रायपुर दिनांक 02/06/2017

प्रति,

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक 29.05.2017

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 02/06/2017

पृ. क्रमांक / 1116 138 / आउशि / समन्वय / 2017

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अवर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2
प्रति,


नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 68/आउशि/समन्वय/2017

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
2/ छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा
स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु अनुमोदित प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।
कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
कष्ट करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(नलिनी माथुर)
अपर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017


पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-9522017/38-2
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
5. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
गार्ड फाईल।



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)


अपर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं
में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक विज्ञापन
सत्र 2017-2018

1 प्रयुक्ति

1.1 ये शासकीय / विश्वविद्यालय उत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में उत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर के प्रावधानों के साथ सन्तुष्टि कर रहे हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि -

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सस्था के सवधित प्राचार्य द्वारा प्रनामित किये जाने पर बिना अकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले ही मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्वादीकरण :-


आवेदक को न किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश दिया जाये। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया इस स्थान (ब) के महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक को न स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे किसी भी



(Handwritten signature)

प्रवेश निकाय द्वारा प्रवेश निकाय विज्ञापन के अंतर्गत
महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश निकाय द्वारा निर्धारित अंतिम
तिथि के बाद आवेदक (स्व) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -
जिन सकाय के अतिरिक्त अन्य सकाय के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के
परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के
पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में
गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही
प्रवेश दिया जायेगा। 12 वी कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त
हान पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 3 प्रवेश संख्या का निर्धारण :-
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध
उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई
छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा।
यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल
तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय
/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की
कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित
मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में
प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा
प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य
अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार
ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4 प्रवेश सूची :-
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु
चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार
देकर कुल प्राप्तकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई
जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर
प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश
शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र
पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।



कर दिया जाये।

- 4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में सलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।



स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों का विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।



MICH-NCH BAR COUNCIL OF INDIA MEDICAL COUNCIL OF INDIA में अनुमोदित
पाठ्यक्रमों में प्रवेश संचालन पर संबंधित राज्य के प्राधान्य प्रभावी होगा।

- 6 समकक्ष परीक्षा -
- 6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई), इंडियन कोसिल फार सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय राघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कोशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को प्रमाण पत्र प्रस्तावित किया गया और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4



के प्रमाणित स्तर सीधे 10+2 शिक्षा का वर्ष 2014 तक सकल कर प्रायग मान्य ससाधन विकास मंत्रालय म रा सरकार ने आगका जताई त कि एए छात्र जा विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय मे स्नातक पूर्व किरी भी पाठ्यक्रम न दाखिला लेने के इच्छुक ह तथा जिनके पास +2 स्तर मे व्यावसायिक विषय थ वे अलागकारी स्थिति मे हागे। अत मरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय मे अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों मे दाखिलो के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयो को अन्य सामान्य विषयो की तुलना मे समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रो को शैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए/बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश. द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एव विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्ही विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।


राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एव अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा -

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पाटिवेट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश दी जायेगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कैटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।



(घ) —सरस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा —
— पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि सकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/निरक्षर अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय संवारात कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी सकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य सकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि सकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्जिगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों को आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर आवेदक एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।



परन्तु इसका प्राधान्य इन श्रेणी के विद्यार्थियों को दिया जायेगा। किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकता है।

12 आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक सत्र में इसका विस्तार निम्नलिखित शीति से होगा, अर्थात्

(क) अध्ययन या सहाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या सहाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या सहाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्तीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में शैक्षणिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।



आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम अथवा ह तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा।
1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल राविंसस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेजर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट	10 प्रतिशत
(ण)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए	10 प्रतिशत



- चयनित एवं प्रवास करने वाले क्लब को अन्तर्राष्ट्रीय
- जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विविज / रूपाकन प्रतियोगिताए -
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्बू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत



13.7 विशेष प्रोत्साहन -

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन सी सी / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी सी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कंडेटर तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि -

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को सवालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय / विषय / गुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी निर्देशन हेतु महाविद्यालय



मदरथ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपनी शोध कार्य संपादन करेंगे। अद्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में प्रवेश करता है, तो सहाय अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की

(Handwritten signature)

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय 'सरोजन' अभिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrar@sua@yahoo.co.in

Phone: - 07774-222789, Fax: - 222791



क्रमांक 1063/अकादमिक/ प्रवेश मार्ग / 2018
पति

अम्बिकापुर दिनांक 09/06/2018

1. समस्त विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. प्राचार्य
विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
लखनपुर-अम्बिकापुर (छ.ग.)
3. प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)


विषय - शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ - कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1702/325/आ.उ.शि/समन्वय/2018 नया रायपुर, दिनांक 06.06.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भांकित पत्र के सन्दर्भ में उल्लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 की अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर ही प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


कुलसचिव


पृष्ठांकन क्रमांक : /अकादमिक/ प्रवेश मार्ग./2018

अम्बिकापुर, दिनांक /06/2018

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन नस्ती।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)


प्राचार्य लि.
कृपया समय सीमा
में आवश्‍यक काम करवाएँ



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

Scanned with CamScanner

9.06/18

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती मवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

—00—

आ.उ.शि / समन्वय / 2018

नया रायपुर दिनांक 02/06/2018

कुल नचिव
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़।
प्रचार
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/
2017 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक 02.06.2018

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र के
अनुसार राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार
किया गया है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों
पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 में दिये गये प्रावधानों
का सख्त पालन करना सुनिश्चित करावे।

भवन उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल
संयुक्त सचिव)

उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक 02/06/2018

आ.उ.शि / समन्वय / 2018

अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को आर संदर्भित पत्र के संदर्भ में
सूचनाएं।

श्री शैल अर्पण सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर
जिला रायपुर के आर संदर्भित पत्र।



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2018-2019

1. प्रयुक्ति -
 - 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
 - 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।
2. प्रवेश की तिथि :-
 - 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
 - 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 51 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अथवा महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक को किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी व
लिपि प्राप्त उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया उस
स्थान पर प्रवेश



प्रवेश नही दिया किन्तु फलक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही स्थान
प्रवेश करने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अद्य प्रदेश के लिए निर्धारित अंतिम
प्रवेश सूची जारी के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

आलोचना अद्य सकायों के पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों का पुनर्मुल्यांकन के
परिणाम प्रकाश होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के
आधार पर पुनर्मुल्यांकन में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में
प्रवेश के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त हान पर ही
प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त
हान पर निर्भर प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध
उपकरण/उपयोग योग्य सान्नी एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई
प्रवेश संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल
तक अपना परस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय
उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की
व्यवस्था करें।"

विद्यमान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित
प्रमाणपत्रों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में
प्रवेश पुनर्मुल्यांकन के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा
प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य
महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार
प्रवेश कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :-

1. प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु
जमा शुल्क विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तियों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार
के लिए कुल प्राप्तियों की पुनर्मुल्यांकन सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई
जायेगी।

2. प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर
जांचा जायेगा एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश
दिया जायेगा। प्रवेश देने के तत्काल बाद प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र
पुनर्मुल्यांकन सूची में जोड़कर जमा करना चाहिये।



निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4. मापित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी छात्रों में निचगानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्ध लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1. निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(अ) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक समूहों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के निस्थापित तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उन्नावतानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) मान्यतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।



ALTERNATE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित सारथा के प्रावधान प्रभावी होंगे।

समावेश परीक्षा -

नेचल बोर्ड ऑफ साकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कांसिल फार गेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ प्राथमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएँ मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस अदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक

52/2013(सी.सी./एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय औद्योगिक अर्द्धता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अर्द्धता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण कार्य को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसंधान में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को



प्रमाणित। स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव सहायन केन्द्र मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आग्रह है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों का अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों का शैक्षणिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
2. उत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्ही विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.2 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूलापूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-



तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (जम्पाईमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। अंतर सेमेस्टर प्रथम, द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कैटी प्राप्त आवेदकों को प्रवेश

विश्वविद्यालय प्रथम-द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जीमेन्ट 48 प्रतिशत पुरा न करने वाले छात्रों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ए ए 2 के आवेदकों का अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
यदि उद्योग में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वयं
निरस्त किया जायेगा - उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया
जायेगा।

प्रवेश हेतु अर्हताएं -

9. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो या ऐसा
करने में नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र
आधार पर प्रवेश प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है। आधार पर
निश्चित प्रवेश दिया जायेगा।

10. शिक्षा विरुद्ध न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रवेश
कर रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ
कुछ प्रकार का गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार न देखित नही होने
वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

11. विद्यार्थियों के तं डमोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/सिंह
वाली छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
प्राचार्य द्वारा हेतु रजिस्ट्रार को जॉब करवाये एवं जॉब रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त
किया जाये। इसी छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शाराकीय/जिला स्तर
के विद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

11.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(1) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष की
अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आगु
आयु के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर 12वर्ष के
प्राण हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यत 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(2) आयु सीमा का बचपन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मन्त्रालय/संस्थान
के द्वारा नियमित सरथाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रयासों के
द्वारा प्राप्त अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेशी संस्थान
के माध्यम से प्राप्त अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मूल में प्रवेश
करने वाले छात्रों को भी लागू नहीं होगा।

(3) सामान्य में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का ध्यान रखना होगा।



ब) सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

○ विद्यार्थियों को विशिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रवेश की पात्रता के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है।
आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

92) पूर्ण-वेतन सरकारी/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को सरकारी/जीविक काल के अभाव में अन्य सरकारी महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। जीविक काल के अभाव में अन्य सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियमित रूप से प्रवेश प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

93) किसी संस्थान में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

94) प्रदेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण -

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश निर्मानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अंतरांक देय हों। अर्हिकार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ग) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान ही के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

102) अनशिक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायगी।

95) प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

101) प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगी।

102) स्नातकोत्तर अर्हकारी कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगी।

103) विधि कक्षाओं में अर्हकारी कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परतु 48 एग्जीमेन्ट प्राप्त करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

104) प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अशासकीय संस्थानों में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर परीक्षा आयोजित करने के अनुरोधित विषय विषय समूह के अध्यापन की सुविधा एवं परतु एग्जीमेन्ट प्राप्त करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगी।

105) प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अशासकीय संस्थानों में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर परीक्षा आयोजित करने के अनुरोधित विषय विषय समूह के अध्यापन की सुविधा एवं परतु एग्जीमेन्ट प्राप्त करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगी।

106) प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अशासकीय संस्थानों में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर परीक्षा आयोजित करने के अनुरोधित विषय विषय समूह के अध्यापन की सुविधा एवं परतु एग्जीमेन्ट प्राप्त करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगी।

107) प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अशासकीय संस्थानों में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर परीक्षा आयोजित करने के अनुरोधित विषय विषय समूह के अध्यापन की सुविधा एवं परतु एग्जीमेन्ट प्राप्त करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगी।



अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर एच गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इस्का विस्तार निम्नलिखित शीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से **बत्तीस प्रतिशत** सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से **बारह प्रतिशत** सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से **चौदह प्रतिशत** सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

(3) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण **उर्ध्वाधर (वर्टीकल)** रूप से अवधारित किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, **भूतपूर्व कर्मियों / भूतपूर्व सैनिक**, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये **3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।**

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से **30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।**

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत् अप्रभावित रहेगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि



का भी है तो संघर्ष की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संघर्ष की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कडिका 121 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिनार :-

अधिनार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, मात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिनार देय होगा, अधिनार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् वाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिनार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिनार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिनार ही देय होगा।

एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- | | | |
|-----|--|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्वोन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. सेना | |

12. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए नियमित एवं प्रवास करने वाले कैंडिडेट को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी केंद्रों के तंत्रों में चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
13. आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.1 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विजय/रूपांकन प्रतियोगिताएं -
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर-जिला, सभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर-सभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर-सभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर-क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) सभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.2 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एव कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.3 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. सी. मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 05 प्रतिशत



13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन सी सी / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी सी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स आथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- 1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- 2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15 शोध छात्र :-

राज्यीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य द्वारा समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय

द्वारा प्रमाण-पत्र एवं प्रमाण-पत्र सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। शोध कार्य संपादन करेगा। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त है तो सहायक अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की



कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन अहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आदिन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उर्ती महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

15 विशेष :-

- 16.1 छात्री प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा वन मॉलरीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्ता विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/सशोधन/निरसन/संशोधन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त सचालक
उच्च शिक्षा सचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

कमांक/२५७०/४४७/आउशि/समन्वय/२०१९
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२ अटल
नगर रायपुर, दिनांक २४.०५.२०१९

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है।
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ.कमांक/२५७४/४४७/आउशि/समन्वय/२०१९
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/
अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
'महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5 /2019
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 08.05.2019


-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते
हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित
करने का कष्ट करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(प्रविन्द्र मेहेकर)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग




PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2019-20

1 प्रयुक्ति

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित अंकसूची प्रदान करने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-


स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होते की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में प्रवेश लेने के बाद उसके पालक का स्थान (ब) में स्थानांतरित हो



- 3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की रील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।



5 प्रवेश की पात्रता:-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (व) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान-
(व) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम
तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के
परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के
पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में
गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही
प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त
होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध
उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई
छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा।
यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल
तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय
/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की
कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित
मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में
प्रवेश गुणानुक्रम-के आधार पर दिया जावे। सम्यक् विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा
प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य
अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार
ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु
नियमित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार
देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई
जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर
प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश
शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र
प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।



(Handwritten signature)

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर नियम परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.--पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एव अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.--सी/एम.ए.--पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1 स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2 स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एव एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनूसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनूसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को



6 NCTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संवादन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

- 6 समकक्ष परीक्षा :-
- 6.1 राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉन्सिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का, शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय वीशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण उपलब्ध शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को



क प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किरी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 12 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलागकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को शैक्षणिक मत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किरी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किरी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
12 स्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को



- 8.3 सभी स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जामेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या प्राप्त आवेदकों का अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कक्षा 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश रुक निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य कि जायेगा।

- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो एर आवेदन नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

- 9.3 महाविद्यालय में लोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित एवं अनुशसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

सभी संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।



अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्राक्कान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक सत्र में इसका विस्तार निम्नलिखित शीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगाणी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निशचत व्यवितयो, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथार्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशचत श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक जग पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जाता है। यदि उम्मीदवार अयोग्य माना जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अयोग्य उम्मीदवारों को प्रदान की जायेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सत्र में जैसा- स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों आदि



का भी है तो सवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में गरी मानी जावेगी, शेष सवर्ग की सीट गरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 **समूह कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जा** नया न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 **पूरीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसोस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments."** का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा; एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रजर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत

में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत

के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिजन्स में भाग लेने

वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. स्टूडेंट 10 प्रतिशत



- (2) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन.सी.सी / एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडिडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूशे के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आगरा विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश देने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित उ जिला/सभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर सभाग/ स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तरसभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्र प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) सभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- (4) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को छत्तीसगढ़ शासन/मप्र स मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10 प्रतिशत
- (क) छत्तीसगढ़/मप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 10 प्रतिशत



13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एन महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेड्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/सपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अग्निप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश वाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयसम्मि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्था मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना समय व्यय प्रेषादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम आलोचनात्मक ताल में निरंतर -

जब प्रती रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंगीकृत किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस महाविद्यालयी के प्राचार्य अंगीकृत करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जैसी प्रमाण पत्रों मूलतः जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा काव्यलयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसा प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिपि विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारण किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का होगा।



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर
-----00-----

AD-100 (M)
Date: 29/07/2020
29/07/2020

कर्मचारी पति, एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29-06-2020

आयुक्ता,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 28.05.
2020

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मंडेकर)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.प.(डी)

Pandey
2/7/20
Putup
2/7/20



174

PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2020-21

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 5.1 (क)



[Handwritten Signature]

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020-21 हेतु
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत



में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एल.एल.बी की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।



Signature

प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु दयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के



विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी। *व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।*
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।



Signature

विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विही विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्ब विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक



Handwritten signature

के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्यद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमरा: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्यद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्यद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र

परस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।



[Handwritten Signature]

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/ वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त



[Signature]

क्या जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ड) विधि सकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी सकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य सकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

Signature



स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्था आरक्षित रहेंगे।



- 12.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पैटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्वधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

- स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।
- | | |
|--|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट | 03 प्रतिशत |
| या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | |
| (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता | 04 प्रतिशत |
| में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | |

Detam



(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को

05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स

10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट

10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट

10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत

10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/किवज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत



[Handwritten signature]

- रित एवं अन्य राष्ट्रों के गन्ध गूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल
- एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ 10 प्रतिशत
- कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
 - (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक

Dr. P. P. Singh



15. शोध छात्र -

संस्कृत महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंध किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



[Handwritten Signature]



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित

Email: - registrar@maharaja.org

सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक/ 607 / अकादमिक / 2021

अम्बिकापुर, दिनांक 26.07.2021

प्रति,

AISHE CODE

27/07/21 C-9695

1. समस्त विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

2. प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- अपर संचालक, कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवर रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1684/214/आ. उ.शि./सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14.07.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित पत्र के संदर्भ में उल्लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 की अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

पृष्ठांकन क्रमांक/ / अकादमिक / 2021

अम्बिकापुर, दिनांक .07.2021

प्रतिलिपि :

1. अपर संचालक, कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन, सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवर रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1684/214/आ.उ. शि./सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
4. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/गोपनीय विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ प्रेषित
5. कार्यालयीन नस्ती।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

29/07/2021
प्रमाण

कृपया समाप्त ट्राफ के शिक्केनाश व
पालनाश



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1684 / 214 / आउशि / सम. / 2021
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.07.21

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 03.07.2021।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021-22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त-शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021-22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.पी.खैरवार)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.07.21

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

समस्त स्टाफ कृपया
आवश्यक कार्यवाही
श्री पाण्डेय जी (अ.ग.)
15/07/2021
आवलेकन करें



अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh, Chhattisgarh (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक 1684 / 214 / आउशि / सम. / 2021

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.07.2021

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 दिनांक 03.07.2021।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021-22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त-शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021-22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.पी.खैरवार)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.कमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.07.2021

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।



PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)
d:\praveen letter 2021\letter.docx222

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

-----00-----

No.: L-201-----22-----	1145
AD (K) JDI-----30-----	
Section-----	Office
Date 5 JUL 2021	C.H.E.

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021 प्रति.

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
3. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय

P. L. J.
03/07/2021



173

PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021-22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर
कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021-22

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जाएगा जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सह निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संश्लेषित संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी।

परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रेषित परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रेषित आवेदन पत्रों को धारण करने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाएगा।



किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :- विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार काँसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।



प्रवेश सूची :-

- 1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या संघ शासक सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के



विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्या प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश के लिए प्रथम/द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर प्रवेश के लिए प्रथम/द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय में प्रवेश दिया जायेगा। बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।



2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा परीक्षा संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।



वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सी.एन.एन.ए.एस.क्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि स्तर 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा स्नातक के पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्न समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-



प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा कि किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करके हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जिगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं आया हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।



महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिक प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान सम्मान किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/मा.आ.आ. के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभा देय है, तो अधिभा जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान ही विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।



प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वायत्त विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्ग्रेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार, होगा :-

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसके विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत क्रम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबंध में अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।



प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के ख. तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ऑप-काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या होगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर अधिकतम अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स


एन.एस.एस. शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत

एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट

03 प्रतिशत



या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

- (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तःसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तःक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-


(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत



62

- करने वाले को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

- 5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
 - (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
 - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेड्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीटें प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंदर अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दो बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अर्थात् मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्ण सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-
 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रार्थना करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन हेतु अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम



Handwritten signature or initials.

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी।
ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल
गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा।
पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर
प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन
करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया
जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय
में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही
अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप
में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की
कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन
आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति
में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध
आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस
महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ
सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा
कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को
निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह से
अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य
को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में
लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का
होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त
होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त
अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के
आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए
स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी
किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च
शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन
का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 2935/760/आउशि/सम./2022

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक...07/06/2022

प्रति

1. कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।


—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न -उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


7.6.2022

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय


नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ...07/06/2022

पृ. क्रमांक 2936/760/आउशि/सम/2021

निधि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।


7.6.2022

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)




PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।


विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका
सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.
2022

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित
है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित
करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(ए.आर. खान)
अवर सचिव

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल
नगर, रायपुर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।




PRINCIPAL

Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2022-23

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत



छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर

कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022-23

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑनलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

[Signature]
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :-

सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनको संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए./एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन

(न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 120 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग संस्कृत



3. सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
4. प्रवेश सूची :-
 - 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
 - 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
 - 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
 - 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - 4.5 स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
 - 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में सलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
 - 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन काँसिल फार सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
भारत नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश
जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की
प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की
परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष
की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया
जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी
भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते
हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य
के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया
जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा
महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य
करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व
अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित
आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली
कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जिगेट 48
प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की
पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः
निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया
जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त
छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश
की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं
लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मू

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिसस प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में लौडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

20/11/21
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

124
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



- 2.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा अभ्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
- (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत
में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने

अधुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



- वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

अटल नगर, नया दिल्ली (छ.ग.)

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/

10 प्रतिशत



- कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
 - (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
 - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

15

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेडस तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पार्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

Jktm
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
भटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



5 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयवधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

Retam
अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)



Session 2018-19

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A. (- 270)

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

Reservation – Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)

(SANCTIONED SEATS PER CLASS - 90)

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	31	22	9
2	SC	12%	11	8	3
3	ST	32%	29	20	9
4	OBC	14%	13	9	4
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
7	Grand Total	100%	90	63	27

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2018-19

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Sanctioned Seats in B.SC. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS – 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18


PRINCIPAL
GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2018-19

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.COM. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18



PRINCIPAL

GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan Distt. Korea (C.G.)

Session 2019-20

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A. - 270

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

Reservation – Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)

(PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90)

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	31	22	9
2	SC	12%	11	8	3
3	ST	32%	29	20	9
4	OBC	14%	13	9	4
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
7	Grand Total	100%	90	63	27



PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2019-20

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18



PRINCIPAL
GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2019-20

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.COM. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18



Ae
PRINCIPAL
GOVT. MAAMAHAYAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A.- 270


Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

Reservation – Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)

(PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90)

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	31	22	9
2	SC	12%	11	8	3
3	ST	32%	29	20	9
4	OBC	14%	13	9	4
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
7	Grand Total	100%	90	63	27


PRINCIPAL
GOVT. MAH MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2020-21

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18


PRINCIPAL
GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM.- 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.COM. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2021-22

Office of The Principal, Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan, Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as per state govt. of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.A. (Bachelor of Arts)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.A. - 270

Reservation - Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

Reservation - Chart Class wise (B.A.PART ONE/TWO/THREE)

(PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90)

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	31	22	9
2	SC	12%	11	8	3
3	ST	32%	29	20	9
4	OBC	14%	13	9	4
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
7	Grand Total	100%	90	63	27

PRINCIPAL
GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2021-22

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL)- 630

Programme Name - B.SC. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18


PRINCIPAL
GOVT. MAHAMAAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Session 2021-22

Office of The Principal ,Govt.Maa Mahamaya College Khadgawan ,Distt.-Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 630

Programme Name - B.COM. (Bachelor of Commerce)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.COM. - 180

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	61	43	18
2	SC	12%	22	15	7
3	ST	32%	58	41	17
4	OBC	14%	25	17	8
5	EX/FF	3%	5	3	2
6	DIVYANGJAN	5%	9	6	3
7	Grand Total	100%	180	125	55

Reservation – Chart Class Wise (B.COM. PART ONE/TWO/THREE)

PER CLASS SANCTIONED SEATS - 60

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	20	14	6
2	SC	12%	7	5	2
3	ST	32%	20	14	6
4	OBC	14%	8	6	2
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	3	2	1
7	Grand Total	100%	60	42	18


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Numbers of Seats earmarked for reserved category as as per state govt.of chhattisgarh applicable reservation policy for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc.)

Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State

Govt. rules (UG LEVEL) - 900

Programme Name - B.sc. (Bachelor of Science)

Total Numbers of Seats Sanctioned in B.SC. - 270

Reservation – Chart

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	92	64	28
2	SC	12%	32	22	10
3	ST	32%	86	60	26
4	OBC	14%	38	27	11
5	EX/FF	3%	08	06	02
6	DIVYANGJAN	5 %	14	10	4
7	Grand Total	100%	270	189	81

Reservation – Chart Class wise (B.SC. PART ONE/TWO/THREE)

(PER CLASS SANCTIONED SEATS - 90)

S.No.	Categories	Reservation	Total	Open 70%	Girls 30%
1	UNRESERVED	34%	31	22	9
2	SC	12%	11	8	3
3	ST	32%	29	20	9
4	OBC	14%	13	9	4
5	EX/FF	3%	2	1	1
6	DIVYANGJAN	5%	4	3	1
7	Grand Total	100%	90	63	27


PRINCIPAL

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) OPEN

SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI YADAV	AMRIT LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
2	AJAY SINGH	SANT LAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	BABY	SOBRAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	MAYAVATI	SUDAMA PRASAD	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	MEENA	SHIV KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	PANKAJ	SHIV NARAYAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	PRAKASH KUMAR	GOPI CHAND	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
8	PUSHPA	DURGA PRASAD	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
9	ROHIT KUMAR	SURESH KUMAR KEWAT	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
10	SANJU	DAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	SAVINA SINGH	VISHNU SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	USHA SINGH	GORE LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	VIKASH KUMAR YADAV	UMASHANKAR YADAV	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
14	VISHRAM SINGH	KRIPAL SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE

9695



PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT
CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE

SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AAKANKSHA YADAV	SHIVMURAT YADAV	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	CHANDA	DURGA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
3	GAYATRI	HEERA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
4	JAYANTI	VIJAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
5	PREMWATI	BAHADUR SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	SALMA YASMIN	MD MOHSIN KHAN	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06

AISHE CODE
C-9635


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST
SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BASANTI	RAM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
2	BHARTI	AMRIT	FEMALE	ST	ST	OPEN
3	DHAN SINGH	MALIKARAM	MALE	ST	ST	OPEN
4	INDRAMANI	BUDHNATH	FEMALE	ST	ST	OPEN
5	LAKSHMANIYA	SHIV PRASAD SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
6	LALITA	DEV SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
7	PHOOLMATI	SAMARU	FEMALE	ST	ST	OPEN
8	PREMAWATI	MUNEEM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
9	SANGEETA	LAXMAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
10	SAPNA TOPPO	SULEMAN TOPPO	FEMALE	ST	ST	OPEN
11	SARITA	MANGAL SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
12	SHAKUNTALA	LAKHAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
13	SUNITA	CHHATRAPAL SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANCHAL	GANGARAM	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
2	ANJU	BABU LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
3	KAVITA	HEERA LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
4	RADHIKA	GAURI SHANKAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
5	RAHUL KUMAR	DHARMENDRA	MALE	OBC	OBC	OPEN
6	RANJNA SAHU	BABLU	FEMALE	OBC	OBC	OPEN

TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -06

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
OBC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION 2018-19						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	RANU	ANIL KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
2	ROSHNI	DARIYA KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
TOTAL SEATS FOR OBC (FEMALE) CATEGORIES -02						

AISHE CODE

LC-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT. NAVEEL COLLEGE KHADGAWAN, DIST. KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) OPEN

SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AASMA BAI	RAI SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	AKSHAY YADAV	SHIV NARAYAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
3	ANUJ KESHWARWANI	MAHENDRA KESHWARWANI	MALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
4	ANUJ KUMAR	SHRI LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	JAG NATH	RUDESAI	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	JAY KUMAR	GANGARAM	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	JYOTI	LALIT MOHAN	FEMALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
8	MANRAJ SINGH	JAI NARAYAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9	NEHA YADAV	RAJ LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
10	NILESH KUMAR SINGH	BAHADUR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	PARWATI	RAMPRASAD	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	POOJA GUPTA	RADHE SHYAM GUPTA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
13	PRIYANKA	RAGHUVeer PRASAD	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
14	RAJU KUMAR SINGH	LALMAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
15	RAVI SHANKAR	KANHAYALAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
16	ROHIT KUMAR	SUMAR LAL	MALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
17	SANDHYA	NAND LAL GUPTA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
18	SHRIRAM	SURAJ PRASAD	MALE	GEN.	UN-RESERVED	OPEN
19	SUSHILA SINGH	MAHAVEER SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SUSHMA DEVI	RAGUWAR SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
21	TARA KUMARI	LAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
22	VIDYAWATI	KANHAIYA LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -22						

AISHE CODE

C-9695

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE						
SESSION 2018-19						
PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ARCHANA	RAMASHANKAR	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMALE
2	DEV KUNWAR	SAMPAT SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
3	DURGAWATI	CHANDRABHAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
4	JYOTI	BABU LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
5	KALAWATI	PAHALWAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	LALITA	VISHRAM SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
7	SANDYA	RAGHUVeer PRASAD	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMALE
8	SAPNA YADAV	JANAK RAM YADAV	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
9	URMILA	KANHAYA LAL	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMALE
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI	RAM KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
2	ABHAY KUMAR GUPTA	RADHE SHYAM GUPTA	MALE	OBC	OBC	OPEN
3	AJAY KUMAR	AKLESH KUMAR	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	PRITI SAHU	MAYARAM	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
5	RAJU PRASAD	SHIV PRASAD	MALE	OBC	OBC	OPEN
6	RAMNEWAZ	GUMMI LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
7	SHAKINDRA SAHU	RAJESHWAR SAHU	MALE	OBC	OBC	OPEN
8	SUNITA	MOHAN	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
9	SURAJ YADAV	MANNI LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -09						

AISHE CODE

C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
OBC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION 2018-19						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR -			B.A.FIRST YEAR			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BABITA	UMASHANKAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
2	JYOTI THAKUR	RAJESH THAKUR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
3	RANU SAHU	SIYARAM	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
4	REKHA	SUDHIR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
TOTAL SEATS FOR OBC (FEMALE) CATEGORIES -04						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST


SESSION 2018-19

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AMRIT SINGH	RAMFAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
2	ANJANI	DEVSAI	FEMALE	ST	ST	OPEN
3	AVINASH PRADHAN	MAHENDRA PRADHAN	MALE	ST	ST	OPEN
4	BALKUNWAR	RAM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
5	BIRENDRA SINGH	MAHIPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
6	JAI KARAN	CHAIN PRATAP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
7	MAHENDRA PRATAP SINGH	DHRAMPAL	MALE	ST	ST	OPEN
8	MAMTA KUMARI	CHITRA BHANU SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
9	MANISH KUMAR SINGH	PHURMAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
10	MEENA	PATIRAM	FEMALE	ST	ST	OPEN
11	PARWATI	JAGAT SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
12	PHOOL MATI	SHIVNARAYAN	FEMALE	ST	ST	OPEN
13	PHULMAT	BABULAL	FEMALE	ST	ST	OPEN
14	RAJ KUMAR SINGH	LAXMAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
15	RAJ KUMAR SINGH NETAM	SURYA PRATAP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
16	SAMARIYA	ISHWAR SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
17	SARITA BAI	MANOHAR	FEMALE	ST	ST	OPEN
18	SHIV SHANKAR SINGH	ANURUP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
19	SHYAMA	NIRANJAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
20	SUNIL KUMAR	JAI SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -20						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Dist. Koraput

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION 2018-19						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	PREM KUNWAR	SHIV KUMAR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	RINKU	SHRAVAN KUMAR	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	SEMWATI	SAGAM SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	URMILA	DHARAM SAI	FEMALE	ST	ST	FEMALE
TOTAL SEATS FOR ST (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION 2018-19						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	MANESHWAR	SHIV PRASD	MALE	SC	SC	OPEN
TOTAL SEATS FOR SC (OPEN) CATEGORIES -08						

ASHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.NAVEEN COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN						
SESSION 2018-19						
PROGRAMME NAME - B.COM (BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE						
CL.AAS/YEAR - B.COM. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	JAY KUNWAR	INDRPAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	KAMLESH	INDRPAL SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	KARAN SAI	JAGMOHAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	MAAN SINGH	MALIK RAM	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	PRAMOD KUMAR	HUNS LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	RAJARAM SAHU	BRIJLAL SAHU	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	SANGEETA	RAMKARAN SAHU	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
8	SAVITA	ISHWAR PRASAD SAHU	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	SEEMA	SHIN KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE

C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAAMAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENT'S ADMISSION LIST						
SESSION -2019-20						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	LAVKUSH	KALAP DHARI	MALE	SC	SC	OPEN
2	MAHENDRA KAPOOR	SHANKAR PRASAD	MALE	SC	SC	OPEN
3	PRAKASH	LAL SAI	MALE	SC	SC	OPEN
4	SHIV KUMAR	KEWAL SAY	MALE	SC	SC	OPEN
5	SHYAM MALIK	BABLU MALIK	MALE	SC	SC	OPEN
6	SUSHILA	SATYAVRAT RAM	FEMALE	SC	SC	OPEN
7	VINOD KUMAR	SATYANARYAN	MALE	SC	SC	OPEN
TOTAL SEATS FOR SC (OPEN) CATEGORIES -08						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
OBC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST
SESSION -2019-20

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	RANI	DILEEP KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE

TOTAL SEATS FOR OBC (FEMALE) CATEGORIES -04

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2019-20

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ABHISHEK KUMAR	RAMAWATAR	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	ANITA	SHYAMLAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
3	DIL KESHWAR	RAM PRASAD	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	KEWAL PRASAD	CHETRAM	MALE	OBC	OBC	OPEN
5	KUNTI	HANS LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
6	MUKESH KUMAR	RAM SAJIWAN	MALE	OBC	OBC	OPEN
7	NARENDRA KUMAR	DHANSAI	MALE	OBC	OBC	OPEN
8	PUNTA SAHU	BANSHI LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
9	RAMBHA	RAJENDRA	FEMALE	OBC	OBC	OPEN

TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -09

AISHE COLLEGE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2019-20						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	RAJ KUMARI	UMEND SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	SHIVLOCHANI	RAM LAL SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	SHYAM BAI	RAM SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	SUNITA	DEV KUMAR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	URMILA	NAND KUMAR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	VINITA	INDRABHAN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
TOTAL SEATS FOR ST (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN (ST.-KOREA (C.G.))

ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2019-20

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ADHIMAN SINGH	JAIPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
2	AMRITA SINGH	JAI SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
3	BHAGWAN SINGH	JAGAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
4	DHARMENDRA SINGH	RAM LAL	MALE	ST	ST	OPEN
5	GEETA	ITWAR SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
6	HEERA MANI	RAM PRASAD	FEMLAE	ST	ST	OPEN
7	JAYMAN	SUNDRALAL	FEMLAE	ST	ST	OPEN
8	JAYMAN BAI	SOMARSAI	FEMLAE	ST	ST	OPEN
9	KALASH KUNWAR	RAMDAYAL SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
10	KRANTI	DHARAMPAL	FEMLAE	ST	ST	OPEN
11	LAXMI SINGH	DUDHNATH SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
12	LALITA SINGH	RATAN SIGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
13	MAMTA	VEER SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
14	MANISH KUMAR	NEM SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
15	NEERAWATI	MAAN SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
16	PREMLATA SINGH	UDAYBHAN SINGH	FEMLAE	ST	ST	OPEN
17	SANJAY KUMAR SINGH	RAM SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
18	SHASHI KUMARI	DEVNARAYAN	FEMLAE	ST	ST	OPEN
19	VINOD SINGH	SHANKAR SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
20	VIKASH SINGH	SHIVMANGAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -20						

AISHE CODE

100000

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Dist. Koregaon (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE						
SESSION -2019-20						
PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	RITA	GANPAT SIGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
2	INDRAWATI	MAHIPAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
3	MANISHA	UDIT NARAYAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
4	MANMATI SAHU	SAMAY LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
5	PRAMILA SINGH	BUDHLAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	PRIYANKA	SHYAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
7	SAVITRI	RAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
8	SEETA	NARAYAN	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMALE
9	TANU PATEL	GIRDHAR GOPAL PATEL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695

PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN

SESSION -2019-20

PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARADHANA	PARJAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	ASHISH KUMAR	RAM PRASAD	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
3	CHAND KUMARI	DASIRATH	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	GEETA DEVI	HANSLAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	JAI SINGH	DILIP SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	KHEERMATI	VISHVNATH SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	NEELAM YADAV	KESHAV PRATAP	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
8	PAPPI	DHAN SAI	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
9	PAVARO	ITWAR SAY	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	RADHA	PREAMLAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
11	RAJESH KUMAR	KASHI RAM	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
12	RAM BAI	KANHAIYA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	RAMENDRA KUMAR	PHULESHWAR	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
14	RAVI KUMAR	SAMELAL	MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
15	REETA	RAM DYAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
16	RUKMANI	SUDHIR KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
17	SANTOSHI	RAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
18	SAROJNI	SAPURAN DAS	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
19	SHRIMATI	UDAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SHYAM SUNDARI	DEVLAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
21	TRIVENI	VANSHRUP	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
22	VIRENDRA SINGH	RAM SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -22						

AISHE CODE

\ C-9695

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C G)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT
CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN

SESSION 2019-20

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	DINESH KUMAR SINGH	SURESH KUMAR SINGH	M	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	FULMATI	BUDDHU SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	GAUTI YADAV	MANDHARI RAM	F	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	GEETA	SAMAY LAL	F	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	JANKEE	BALDEV SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	KAVINDRA	SANKAR SINGH	M	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	MANMATI	SANT LAL	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	MAYA SAHU	RAM PRAKASH	F	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	PARWATI	LAL SAI SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	PRIYANKA	MAHENDRA SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	SANDHYA KUMARI	KUNWAR SAI	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SARSWATI	RAM SAY	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	SUNEETA	SHREERAM SINGH	F	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	VIKASH JAISWAL	DURGADEEN JAISWAL	M	OBC	UN-RESERVED	OPEN

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

AISHE CODE
C-9695

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) FEMALE

SESSION 2019-20

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gendar	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	AMRITA	SHIV KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	NANDINI YADAV	DHANI RAM	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
3	NEELU	RAMNARAYAN	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
4	SNEHA	RAMPRAKASH THAKUR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
5	SUMAN	RATAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	SUNITA SAHU	RAM PRATAP SAHU	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE


TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION 2019-20						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANJUVALA	DHANNU SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
2	PUSHPA	PARSHOTAM	FEMALE	ST	ST	OPEN
3	RAM BAI	GAMBHIR SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
4	RANGEETA	DAL PRATAP SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
5	RUPNARAYAN SINGH	DEFPNATH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
6	SANGEETA	CHANDRABHAN	FEMALE	ST	ST	OPEN
7	SANJAY SINGH	RAM KUMAR	MALE	ST	ST	OPEN
8	SANTOSHI	LALIT NARAYAN	FEMALE	ST	ST	OPEN
9	VINITA	SUKHRAM	FEMALE	ST	ST	OPEN
10	VISHNU SINGH	GOKUL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION 2019-20

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	MAMTA	DALEEP SAI	F	OBC	OBC	OPEN
2	RAVI PRASAD	KAMESHWAR PRASAD	M	OBC	OBC	OPEN
3	REEMA VISIIWAKARAM	VED RAM	F	OBC	OBC	OPEN

TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -06

AISHE CODE

✓ C-9695



PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2019-20						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	REMARK
1	JAYARANI NIRALA	MAHIPAL NIRALA	FEMALE	SC	SC	OPEN
2	MADAN MOHAN	SHYAM LAL	MALE	SC	SC	OPEN
3	REETA	ARJUN RAM	FEMALE	SC	SC	OPEN
TOTAL SEATS FOR SC (OPEN) CATEGORIES -05						


AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN						
SESSION 201920						
PROGRAMME NAME - B.COM (BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE						
CLAS/YEAR - B.COM. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	DIGVIJAY SINGH	HEERA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	RAHUL NIRALA	MAHIPAL NIRALA	MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
3	SANGEETA	DEV LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	SURAJ SINGH	JWALA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	SURENDRA KUMAR	MAHENDRA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	VISHAL SINGH	LAXMAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN						
SESSION -2020-21						
PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANIL KUMAR	MOTILAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	ASHOK KUMAR SINGH	DALIP SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	AYUSH JAISWAL	NARESH JAISWAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	BAL SINGH	JAWAHIR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	BHAGWAN SINGH	SHIV PAL SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	CHANDAN KUMAR NAMDEV	SHARVAN KUMAR NAMDEV	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	DEVSINGH SIRDAR	SHIV MANGAL SIRDAR	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
8	DIL KUWAR	MOHAN DAS	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
9	JAGMANIYA	GYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	NIRMAL SINGH	SHIVRAM SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	PRAMILA	MATHURA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	PRIYANK JAISWAL	MAHESH KUMAR JAISWAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
13	RAJ KUMARI	DEV NARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	RAM KUMARI	SITA SHARAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
15	SAHDEV SINGH	DUBRAJ SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
16	SAVITA	BALBHADRA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
17	SAVITRI	HUKUM SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
18	SUKWARIYA	SWARATH SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
19	SUMAN	NIRMAL SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SUNITA	SHIVRATAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
21	SURUCHI DHANWAR	SAILESH DHANWAR	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
22	UJIT SINGH	RAI SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
AISHE CODE		TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -22				 PRINCIPAL

C-9695

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)


GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) FEMALE
SESSION -2020-21

PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANSHU SAHU	BIJESHWAR	F	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	ARCHANA	VIJAY SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
3	CHANCHAL	SUNDER SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
4	DIPTI	SHIV KUMAR	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
5	HANS KUMARI	RAMESHWAR	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	RANIYA DEVI	BAHADUR SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
7	SEEMA	GOVIND SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
8	SUSHILA	AMEE LAL	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
9	VINITA	GULAB SINGH	F	ST	UN-RESERVED	FEMALE
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Dist. -Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN, DIST.-KOREA (C.G.)

ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2020-21

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ALOK KUMAR	MAHIPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
2	AMAR SINGH	LAXMAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
3	AMIT SINGH	SON SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
4	ARJUN SINGH	ROOP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
5	BINDUWATI	DEV SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
6	MAHESH	RAM PRASAD	MALE	ST	ST	OPEN
7	NAVEEN KUMAR SINGH	PREET PAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
8	PRAMOD KUMAR	HARWANSH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
9	RAHUL SINGH	DEV LAL	MALE	ST	ST	OPEN
10	RAJENDRA PAL	GANPAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
11	RAM SINGH	INDRAPAL	MALE	ST	ST	OPEN
12	RAM JANAM	SHIV PRASAD	MALE	ST	ST	OPEN
13	RAMESH KUMAR	PANNA LAL	MALE	ST	ST	OPEN
14	SATYADEV SINGH	DHARAM PAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
15	SURESH SINGH	KAULESHWAR	MALE	ST	ST	OPEN
16	UMENDRA SINGH	SAMPAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
17	VIKASH KUMAR	RAM BHAJAN	MALE	ST	ST	OPEN
18	VIKRAM SINGH	LAL SAY	MALE	ST	ST	OPEN
19	ROSHNI	NARAYAN SINGH	FEMALE	F	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -20						

AISHE CODE
C-9695

PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2020-21

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AMARWATI	DHANNU SINGH	F	ST	ST	FEMALE
2	BASANTI	GULAB SINGH	F	ST	ST	FEMALE
3	JIRAWATI	CHHATRA PAL SINGH	F	ST	ST	FEMALE
4	KALAVATI	SHIVA SINGH	F	ST	ST	FEMALE
5	KANCHAL	SUNDER SINGH	F	ST	ST	FEMALE
6	MAYA	BHAGWAN SINGH	F	ST	ST	FEMALE
7	PHUL KUNWAR	AMRIT SINGH	F	ST	ST	FEMALE
8	POOJA WATI	VIDHAWAN SINGH	F	ST	ST	FEMALE
9	PRABHAWATI	BALRAM SINGH	F	ST	ST	FEMALE

TOTAL SEATS FOR ST (FEMALE) CATEGORIES -09

AISHE CODE

C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2020-21

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ARTI	DHANESHWAR	F	OBC	OBC	OPEN
2	CHANDA	BHOLA PRASAD	F	OBC	OBC	OPEN
3	DEEPAK KUMAR THAKUR	LAXMI PRASAD THAKUR	M	OBC	OBC	OPEN
4	JAYOTI YADAV	ARJUN YADAV	F	OBC	OBC	OPEN
5	MOHAN KUMAR YADAV	HARISHCHANDRA YADAV	M	OBC	OBC	OPEN
6	NEHA	RAJENDRA LAL	F	OBC	OBC	OPEN
7	RADHA	SUKHRAM	F	OBC	OBC	OPEN
8	SEEMA	NAND LAL	F	OBC	OBC	OPEN
9	SUMAN YADAV	RAMAVTAR	F	OBC	OBC	OPEN
TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -09						

AISHE CODE

C-9695

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN						
SESSION -2020-21						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	REMARK
1	AISHWARY TIWARI	PUSHRAJ TIWARI	MALE	GEN	UN-RESERVED	OPEN
2	GAYTRI	GOURI SHANKAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
3	HEMCHAND	HEERAMANI	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	INDRA KALI	HANS LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	JYOTI	DARIY KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	KALAWATI	RAMPRASAD SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	KALSSH KUNWAR	SHIV PRASAD	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	KAVITA SONWANI	SHYAMLAL SONWANI	FEMALE	(SC)	UN-RESERVED	OPEN
9	PREETI RAVI	LAL SAI	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
10	RAIMUNIYA	BRIJLAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
11	ROHITT KUMAR	RANG BAHADUR	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SAHIL KUMAR JAISWAL	SANTOSH KUMAR	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
13	SAVINDRA SINGH	RANG LAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	SURAJ LAL	PREM LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)


GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE						
SESSION -2020-21						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	KAJAL	SUBHASH	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	KARISHMA	DURGA PRASAD	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
3	SUNEETA	CHHOTELAL	FEMALE	SC	UN-RESERVED	FEMALE
4	SANGEETA SAHU	BANSHI LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
5	SUSHILA	RAMNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
6	SUSHMA DEVI	RAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2020-21						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BEBI	RAM PRASAD	FEMALE	ST	ST	OPEN
2	BELASIYA	SOMAR SAI	FEMALE	ST	ST	OPEN
3	CHNDRA PRAKASH	NARESH CHAND	MALE	ST	ST	OPEN
4	EEDNARAYAN SINGH	RAJMANIYA	MALE	ST	ST	OPEN
5	GHANSHYAM	BANSHRUP	MALE	ST	ST	OPEN
6	JAY SINGH KAMRO	ANGAD SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
7	JEET KUMARI	CHETSINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
8	KAVITA	MAAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
9	RAMAYAN SINGH	BHAGWAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
10	RAVI KUMARI	BHAIYA LAL	FEMALE	ST	ST	OPEN
11	REETAN	PANNE LAL	MALE	ST	ST	OPEN
12	SAMEER SINGH	RAMJEET	MALE	ST	ST	OPEN
13	SANGEETA	SHIV BHAJAN	FEMALE	ST	ST	OPEN
14	SARITA	JIWAN SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2020-21						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BABI	ADHEEN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	INDRA KUNWAR	JAISHIT	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	MANKUNWAR	UMEND SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	MAYAWATI	RAM BHAJAN	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	SHANTI	AMIR SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	URMILA	SON SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
TOTAL SEATS FOR ST (FEMALE) CATEGORIES -06						

AISHE CODE

C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2020-21						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	NEHA	HEMANT KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -06						


AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN						
SESSION 2020-21						
PROGRAMME NAME - B.COM (BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE						
CLAS/YEAR - B.COM. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	INDRA KUNWAR	SHIV RAM SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	KAUSHILYA SINGH	ANAND RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	MAMTA SAHU	BHADGAWAN DAS	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	NAARENDRA SINGH	SHANKAR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	NAND PRASAD	INDRAPAL	MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
6	PRADIP KUMAR	BAIJNATH	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	RAM BARAN SINGH	RAM LAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	SANDHYA	RAJNATH SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9	SARASWATI	RAMAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	SHIVKANTI	JAGMOHAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE

VC-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) OPEN						
SESSION 2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAS/YEAR -			B.A. FIRST YEAR			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI	RAM LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
2	BASANTI	SUMER SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	BHAGWANTI	DUDHNATH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	BIJESH KUMAR SAHU	JAGJEEVAN LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
5	CHANDARMATI	SHANKAR SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	DEEPA	BALKARAN	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	GANESHWAR SIRDAR	PREM SAY	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
8	INDRAWATI SINGH	HEERA SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9	KAMLESH KUMAR	TULSI PRASAD	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
10	MEENA	DHARAM PAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	MITHU LAL	JAIPAL	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
12	NEERA	RAJA RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
13	PREMWATI	BUDDHU SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	RAJKAMAL	KALICHARAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
15	RAMBAI	PATIRAJ SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
16	REENU YADAV	RAM RATAN YADAV	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
17	ROUSHNI	RAJENDRA PRATAP SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
18	SARASWATI	RAMCHANDRA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
19	SHIV PRASAD	DHARM JIT	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
20	SHUSHMITA	GANGA RAM	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
21	SUKHMANIYA	DILIP SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
22	SUNITA	CHHATRAPAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -22						

AISHE CODE
C-9695

PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY (UN-RESERVED) FEMALE						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A.(BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	AMAN	RAMAVTAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	BABLI	UMA SHANKAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
3	CHHOTI KUMARI	PRABHUNARAYAN	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
4	DURGAWATI	RAGHURAJ SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
5	PALAK	CHINTA MANI	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
6	SHYAM KUNWAR	RAM PRASAD	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
7	SULOCHANI	SITA RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
8	SUMITRA BAI	DEVNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE
9	URMILA	KALYAN	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9095


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANITA KUMARI	RAM PRASAD	FEMALE	ST	ST	OPEN
2	BECHAN	HRIDAY SAI	MALE	ST	ST	OPEN
3	BHAGWAN SINGH	SHIV KUMAR SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
4	GANESH KUMAR SINGH	TIRATH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
5	GEETA SINGH	MANIRAM	FEMALE	ST	ST	OPEN
6	HIRONDIYA	BUNDLAL	FEMALE	ST	ST	OPEN
7	KAUSHAL SINGH	SANTOSH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
8	LALAN SINGH	SHIV NARAYAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
9	MANISH KUMAR SINGH	RAMAYAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
10	RAM SINGH	SUMAR SAI	MALE	ST	ST	OPEN
11	RAVI SINGH	RAM PRAVESH	MALE	ST	ST	OPEN
12	ROHIT	BRIJ MOHAN SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
13	SANDEEP KUMAR	BAHAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
14	SHIV KUMAR	JAI SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
15	SHIV BACHAN SINGH	DALPRATAP SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
16	SHUBH LAL	RAMA SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
17	SONAM	BABLU SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
18	VINOD KUMAR	SHIVPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
19	VISHAL SINGH	SHIV KUMAR SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
20	YASHVANT SINGH	B K BHARAT SINGH	MALE	ST	ST	OPEN

TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -20

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadqawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) FEMALE , STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ASHIKA	SHIV PRASAD	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	BUNDKUNWAR	DEVNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	DIPTI	TILAKDHARI SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	JAI MILA	DHANI RAM	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	JAYMANTI	SHYAM LAL	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	KAUSILYA	SANTOSH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
7	LALITA BAI	KRIPAL SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
8	PHOOLKUNWAR	SUKHNANDAN SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
9	RADHA	NAVRANG	FEMALE	ST	ST	FEMALE
TOTAL SEATS FOR ST (FEMALE) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE

CLAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	VINOD KUMAR	GORE LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	ASHOK KUMAR YADAV	DHANIRAM YADAV	MALE	OBC	OBC	OPEN
3	GANESH YADAV	RAJA RAM YADAV	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	NARESH	AMARJEET	MALE	OBC	OBC	OPEN
5	PANKAJ KUMAR	RAMKHELAWAN	MALE	OBC	OBC	OPEN
6	RAHUL GUPTA	ASHOK GUPTA	MALE	OBC	OBC	OPEN
7	ROHIT KUMAR YADAV	SANTOSH KUMAR YADAV	MALE	OBC	OBC	OPEN
8	SHUBHAM RAJWADE	VIJAY KUMAR RAJWADE	MALE	OBC	OBC	OPEN
9	SUNIL KUMAR	RAJ KUMAR	MALE	OBC	OBC	OPEN
TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -09						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
OBC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ARCHANA	RAMPREET RAJAK	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
2	KUSUSM	RAM PRASAD	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
3	KHUSHBOO SAHU	SHYAMCHARAN SAHU	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
4	LALITA YADAV	SITA RAM YADAV	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
TOTAL SEATS FOR OBC (FEMALE) CATEGORIES -04						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	BHOJ KUMAR	RAJU PRASAD	MALE	SC	SC	OPEN
2	KAMLESHWAR PRASAD	PRAKASH DEV PRASAD	MALE	SC	SC	OPEN
3	SANJNA SURYA	RAGHUVVEER PRASAD SURYA	FEMALE	SC	SC	OPEN
4	RAJANTI	NARAYAN SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
5	SANTOSHI SINGH	UDIT NARAYAN	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
6	SARASWATI	MAHIPAL SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
7	SONKUNWAR	JAI PAL SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
8	SUMITRA SINGH	JAINATH	FEMALE	ST	AGAINST SC	OPEN
TOTAL SEATS FOR SC (OPEN) CATEGORIES -08						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
DIVYANJAN (RESERVED CATEGORIES) OPEN& FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	KUSUMLATA	SHIVAN SINGH	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN
2	POOJA YADAV	DENI KUMAR YADAV	FEMALE	OBC	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN
3	SUSHILA DEVI	ANGAD SINGH	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN
4	TARA	DURGA SINGH	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	FEMALE
TOTAL SEATS FOR DIVYANGJAN- 04 (OPEN-03,FEMALE-01)						

AISHI CODI
L-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
FREEDOM FIGHTERS & EX-SERVICEMEN (RESERVED CATEGORIES) OPEN& FEMALE) STUDENTS						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.A.FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	URMILA	BUDHRAM	FEMALE	ST	AGAINST EX/FF	OPEN
2	YOGESHWARI	CHHEDI LAL	FEMALE	OBC	AGAINST EX/FF	FEMALE
TOTAL SEATS FOR FF AND EX-SER.- 02 (OPEN-01 AND FEMALE - 01)						

AISHE CODE
.C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.A. (BACHELOR OF ARTS) PART ONE						
CLAAS/YEAR -			B.A.FIRST YEAR			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	SUNITA	RAMLAL	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
2	SUNITA	DINESH KUMAR	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
3	SUSHILA	SHIV CHARAN	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
TOTAL SEATS FOR SC (FEMALE) CATEGORIES -03						

AISHE CODE

C-9695



PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) OPEN

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	AARTI	ROHIT	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
2	AMITESH PANDEY	MUKUND DEV PANDEY	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
3	ASHWANI KUMAR	MOTI LAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
4	BHILESH KUMAR	PANAS RAM	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
5	DEVENDRA	RAMAVATAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
6	KARTIK YADAV	RAJA RAM YADAV	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
7	LALITA	SUKHDEV SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
8	MADHU SARITA	RAY SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
9	MANISHA	RAM LAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
10	MD TAUSIF RAZA	ESLAM KHAN	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
11	REENA	RAMADHAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
12	ROHIT KUMAR JAISAWAL	RAJESH KUMAR JAISWAL	MALE	General	UN-RESERVED	OPEN
13	SAHIL KUMAR SAHU	VIJAY KUMAR SAHU	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
14	USHA YADAV	SUSHIL KUMAR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) FEMALE

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANSHU RATHIYA	MAHESH RATHIYA	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
2	CHANDA	SHYAM LAL	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
3	HANSA	JAWAHIR	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
4	PURNIMA	DHANIRAM	FEMALE	OBC	UN-RESERVED	FEMALE
5	SNEHA DUBEY	SUBHASH DUBEY	FEMALE	General	UN-RESERVED	FEMALE
6	URMILA	VEER SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	FEMALE

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06

AISHE CODI
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)
ST (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANCHAL	DURGA SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
2	ANJALI	VISHWANATH	FEMALE	ST	ST	OPEN
3	ANJALI SINGH	RAI SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
4	HARBHAJAN SINGH	RAM PRASAD	MALE	ST	ST	OPEN
5	MADHUBAN SINGH	BANSHI LAL	MALE	ST	ST	OPEN
6	MONU SINGH	GULAB SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
7	MUKESH SINGH	JAIRAM SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
8	NEELAM SINGH	SUKHRAM SINGH	FEMALE	ST	ST	OPEN
9	NEHA	SHIVSAGAR	FEMALE	ST	ST	OPEN
10	NIKHIL SINGH	SANTOSH SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
11	NITESH SINGH	BRIJLAL	MALE	ST	ST	OPEN
12	OM PRAKASH SINGH	RAMPAL SINGH	MALE	ST	ST	OPEN
13	RAJESH KUMAR	RAJAN PRATAP	MALE	ST	ST	OPEN
14	SHYAM SINGH	BABU LAL	MALE	ST	ST	OPEN
TOTAL SEATS FOR ST (OPEN) CATEGORIES -14						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
ST (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ANJANA	GORE LAL	FEMALE	ST	ST	FEMALE
2	DEV KUNWAR	VIJAY SINGH VIJAY SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
3	JYOTI SINGH	DEVENDRA SINGH	FEMALE	ST	ST	FEMALE
4	MANJU	RAM PRASAD	FEMALE	ST	ST	FEMALE
5	RAMWATI	NIRANJAN	FEMALE	ST	ST	FEMALE
6	REETA	HARICHARAN	FEMALE	ST	ST	FEMALE
TOTAL SEATS FOR ST (FEMALE) CATEGORIES -06						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ASHOK	RAMDHARI	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	AVINASH KUMAR	PYARE LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
3	DIPESH KUMAR SAHU	PARAMANAND	MALE	OBC	OBC	OPEN
4	RAJA KUMAR	AMRIT LAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
5	SARSAWATI	JAGESHWAR	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
6	VIJAY KUMAR	AKHILESH	MALE	OBC	OBC	OPEN
TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -06						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
OBC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	RUBI YADAV	SANTOSH KUMAR YADAV	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
2	SUNAINA	SANTOSH KUMAR	FEMALE	OBC	OBC	FEMALE
TOTAL SEATS FOR OBC (FEMALE) CATEGORIES -02						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) FEMALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	ROMA	RAM KRIPAL	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
2	SUMITRA BAI	RAMESH SINGH	FEMALE	ST	AGAINST SC FEMALE	FEMALE
TOTAL SEATS FOR SC (FEMALE) CATEGORIES -02						

AISHE CODE

6-9695



PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
DIVYANJAN (RESERVED CATEGORIES) OPEN & MALE, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	SOMU	GANGARAM	MALE	OBC	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN
2	SURAJ KUNWAR	RAM SUNDAR	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	OPEN
3	SUSHILA	INDRA PAL SINGH	FEMALE	ST	AGAINST DIVYANGJAN	FEMALE
TOTAL SEATS FOR DIVYANGJAN-(OPEN-02, FEMALE-01)						

AISHE CODE

C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
 Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
FREEDOM FIGHTERS (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR -			B.SC. FIRST YEAR			
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	SUSHMA	RAJJAN SINGH	FEMALE	ST	AGAINST EX/FF	OPEN
2	TEEKUNWAR	VIJAY SINGH	FEMALE	ST	AGAINST EX/FF	FEMALE
TOTAL SEATS FOR FREEDOM FIGHTERS - 02 (OPEN -01 ,FEMALE-01)						

AISHE CODE
C-9695



PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)						
SC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST						
SESSION -2021-22						
PROGRAMME NAME - B.SC.(BACHELOR OF SCIENCE) PART ONE						
CLAAS/YEAR - B.SC. FIRST YEAR						
S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	MAUSAMI SURYA	MOHAN SURYA	FEMALE	SC	SC	OPEN
2	PRAVEEN KUMAR	JAWAHIR RAM	MALE	SC	SC	OPEN
3	SAPNA SURYA	SOHAN SURYA	FEMALE	SC	SC	OPEN
4	SUDESH KUMAR	PREMCHAND	MALE	SC	SC	OPEN
5	VINITA	SITASHARAN	FEMALE	OBC	AGAINST SC	OPEN
TOTAL SEATS FOR SC (OPEN) CATEGORIES -05						

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) OPEN

SESSION 2021-22

PROGRAMME NAME - B.COM (BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.COM. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	ADMITTED CATEGORY	REMARK
1	AJAY	MAN SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
2	ANNU SINGH	RUPNARAYAN SINGH	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
3	KSHITIJ KUMAR	SHIV KUMAR	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
4	LOKNATH	JAWAHIR SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
5	MAANMATI	PREMLAL	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
6	MADHURI	MAN SINGH GOND	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
7	PAYAL	CHINTAMANI PANDEY	FEMALE	General	UN-RESERVED	OPEN
8	POOJA	PANNA LAL	FEMALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
9	PRADEEP KUMAR	LALSAY	MALE	SC	UN-RESERVED	OPEN
10	RAJ SINGH	HARISH CHANDRA SINGH	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
11	RAMCHARAN	SUKHI RAM	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
12	SANSKAR JAISWAL	YOGESH JAISWAL	MALE	OBC	UN-RESERVED	OPEN
13	SHIMLA	SHANICH RAM	FEMALE	ST	UN-RESERVED	OPEN
14	VIKAS SINGH	INDRAPAL	MALE	ST	UN-RESERVED	OPEN

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (OPEN) CATEGORIES -14

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Dist. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

RESERVED CATEGORIES STUDENTS LIST WHO ARE ADMITTED AGAINST GENERAL MERIT CATEGORY
(UN-RESERVED) OPEN

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.COM.(BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE

CLAAAS/YEAR - B.COM.FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Caregory	Admitted Category	Remark
1	POOJA	AMOL SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
2	PREETI	SANTLAL	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
3	RAVIKALA	HORILAL	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
4	SANTOSHI	SHIV DARSHAN SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
5	SARITA	PAWAN SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE
6	SARTI DEVI	MANOHAR SINGH	FEMALE	ST	UR-RESERVED	FEMALE

TOTAL SEATS FOR UN-RESERVED (FEMALE) CATEGORIES -06

AISHE CODE

9-9695

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN ,DIST.-KOREA (C.G.)

OBC (RESERVED CATEGORIES) OPEN, STUDENTS ADMISSION LIST

SESSION -2021-22

PROGRAMME NAME - B.COM. (BACHELOR OF COMMERCE) PART ONE

CLAAS/YEAR - B.COM. FIRST YEAR

S.N.	Name Of Candidate	Father's Name	Gender	Category	Admitted Category	Remark
1	ANAND KUMAR	SONULAL	MALE	OBC	OBC	OPEN
2	PRADEEP	GOPI CHAND	MALE	OBC	OBC	OPEN
3	SUMANLATA	SUDERSHAN LAL	FEMALE	OBC	OBC	OPEN
4	SANJAY KUMAR SEN	BAIJNATH SEN	MALE	OBC	OBC	OPEN
TOTAL SEATS FOR OBC (OPEN) CATEGORIES -06						

AISHE CODE
C-9695



PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -121 B.Com. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANITA	SGG22004845	ST.	F	03\08\2022
2	BRIJESH KUMAR	SGG22003666	ST	M	03\08\2022
3	RAM SINGH	SGG22017685	ST	M	03\08\2022
4	ANJITA	SGG22019436	OBC	F	05\08\2022
5	BABITA	SGG22030354	OBC	F	08\08\2022
6	MANITA	SGG22018040	ST	F	08\08\2022
7	SANGEETA	SGG22018393	ST	F	08\08\2022
8	VINAY SINGH	SGG22045793	ST	M	08\08\2022
9	AKLESH	SGG22012786	OBC	M	17\08\2022
10	NITESH KUMAR	SGG22029536	ST	M	22/08/2022
11	PRATIMA SAHU	SGG22044279	OBC	F	20/09/2022
12	DAL SAY	SGG22045299	ST	M	26/09/2022
13	PARVATI	SGG22044414	SC	F	29/09/2022
14	PREETI	SGG22008932	SC	F	29/09/2022


AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

GEN CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

1	NIDHI	SGG22041521	OBC	F	20/09/2022
2	SANTOSHI YADAV	SGG22045607	OBC	F	20/09/2022
3	OMWATI	SGG22045461	ST	F	23/09/2022
4	URMILA	SGG22019720	ST	F	26/09/2022
5	RUBEE SAHU	SGG22012409	OBC	F	26/09/2022
6	AASHMA SAHU	SGG22012366	OBC	F	28/09/2022
7	RUPKIRAN SINGH	SGG22015576	ST	F	16\10\2022

ISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR
(CHATTISGARH)

GEN CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

1	SANIYA MANDAL	SGG22016672	GEN	F	12\8\2022
2	SATYAM PANDAY	SGG22017479	GEN	M	12\8\2022
3	MAHAK KESHARWANI	SGG22016544	GEN	F	16\08\2022
4	SUMIT	SGG22004540	OBC	M	17\08\2022
5	SNEHA	SGG22005661	OBC	F	24\08\2022
6	POONAM SAHU	SGG22028200	OBC	F	25\08\2022
7	SHUBHAM SAHU	SGG22024348	OBC	M	25\08\2022
8	ANJANA	SGG22009343	GEN	F	26\08\2022
9	NILIMA	SGG22021943	GEN	F	26\08\2022
10	MANJU SAHU	SGG22028218	OBC	F	26\08\2022
11	SHILPE JAISWAL	SGG22042362	OBC	F	8/9/2022
12	NEERAJ KUMAR THAKUR	SGG22001979	OBC	M	9/9/2022
13	POOJA SAHU	SGG22028212	OBC	F	9/9/2022
14	PRITI	SGG22013130	OBC	F	9/9/2022
15	SANTOSH KUMAR	SGG22031557	OBC	M	9/9/2022
16	SONU KUMAR	SGG22003697	OBC	M	12/9/2022
17	NEELU	SGG22017152	OBC	F	13/09/2022
18	PRIYANKA	SGG22017003	OBC	F	13/09/2022
19	LAXMAN	SGG22035808	ST	M	20/09/2022
20	PHOOL KUNWAR	SGG22045985	ST	F	20/09/2022
21	PRABHA	SGG22018291	ST	F	20/09/2022
22	SANDEEP	SGG22043590	OBC	M	29/09/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

OBC CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATE GOR Y	GEN DER	ADMISSION DATE
1	PREETI YADAV	SGG22015215	OBC	F	06\08\2022
2	RINA	SGG22008159	OBC	F	08\08\2022
3	SANDHYA	SGG22030627	OBC	F	08\08\2022
4	RINU	SGG22017128	OBC	F	17\08\2022


AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

OBC CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	PRIYANKA	SGG22010558	OBC	F	03\08\2022
2	PURNIMA	SGG22009180	OBC	F	03\08\2022
3	SANGEETA	SGG22010544	OBC	F	03\08\2022
4	KHUSHBU KHANDEY	SGG22009973	OBC	F	04\08\2022
5	SUNIL KUMAR SAHU	SGG22028059	OBC	M	04\08\2022
6	VIKASH KUMAR	SGG22012596	OBC	M	04\08\2022
7	VINOD KUMAR	SGG22015189	OBC	M	04\08\2022
8	BHUPENDRA	SGG22002941	OBC	M	06\08\2022
9	YASWANT KUMAR	SGG22006774	OBC	M	12\8\2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR
(CHATTISGARH)

SC CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	JAI LAHRE	SGG22019794	SC	M	05\08\2022
2	JYOTI NIRALA	SGG22009795	SC	F	06\08\2022
3	MAHESH KUMAR	SGG22028617	SC	M	08\08\2022
4	PRITI	SGG22005565	SC	F	05\08\2022
5	RADHE KURRE	SGG22004098	SC	M	08\08\2022
6	RAMKALI	SGG22018116	SC	F	08\08\2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR
(CHATTISGARH)

ST CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ALPNA	SGG22013880	ST	F	16/08/2022
2	PHOOLMATI	SGG22018110	ST	F	16\08\2022
3	SHYAM BAI	SGG22034394	ST	F	24/08/2022
4	ANITA KUMARI	SGG22021980	ST	F	9/9/2022
5	DIVYA	SGG22044684	ST	F	9/9/2022
6	REETA	SGG22006850	ST	F	9/9/2022
7	SANJANA	SGG22043048	ST	F	9/9/2022
8	VIMLA	SGG22030899	ST	F	9/9/2022
9	ANJU	SGG22045390	ST	F	20/09/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

ST CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANITA SINGH	SGG22004163	ST	F	03\08\2022
2	CHNDAMANI	SGG22016214	ST	F	03\08\2022
3	URMILA SINGH	SGG22015856	ST	F	04\08\2022
4	MANISH KUMAR	SGG22002824	ST	M	05\08\2022
5	MITHLESH KUMAR	SGG22009121	ST	M	05\08\2022
6	RAMESH KUMAR	SGG22029080	ST	M	05\08\2022
7	RAM KUNWAR	SGG22023643	ST	F	05\08\2022
8	DDVI KUNWAR	SGG22042249	ST	F	06\08\2022
9	SARBINA	SGG22010346	ST	F	06\08\2022
10	ANITA	SGG22008908	ST	F	08\08\2022
11	BIFAIYA	SGG22023733	ST	F	08\08\2022
12	PREETI	SGG22015056	ST	F	08\08\2022
13	AARTI SINGH	SGG22030954	ST	F	16/08/2022
14	MANISH KUMAR	SGG22012322	ST	M	16/08/2022
15	VIKASH KUMAR	SGG22018227	ST	M	24/08/2022
16	BALDEEP SINGH	SGG22044217	ST	M	9/9/2022
17	KULDEEP SINGH	SGG22012861	ST	M	9/9/2022
18	TULESHVAR PRASAD	SGG22007449	ST	M	9/9/2022
19	DEV KUMAR	SGG22022038	ST	M	12/9/2022
20	AJAY SINGH	SGG22045737	ST	M	20/09/2022

AISHE CODE

00


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
 COURSE CODE & NAME -150 B.Sc. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANITA SINGH	SGG22004163	ST	F	03\08\2022
2	CHNDAMANI	SGG22016214	ST	F	03\08\2022
3	PRIYANKA	SGG22010558	OBC	F	03\08\2022
4	PURNIMA	SGG22009180	OBC	F	03\08\2022
5	SANGEETA	SGG22010544	OBC	F	03\08\2022
6	KHUSHBU KHANDEY	SGG22009973	OBC	F	04\08\2022
7	SUNIL KUMAR SAHU	SGG22028059	OBC	M	04\08\2022
8	URMILA SINGH	SGG22015856	ST	F	04\08\2022
9	VIKASH KUMAR	SGG22012596	OBC	M	04\08\2022
10	VINOD KUMAR	SGG22015189	OBC	M	04\08\2022
11	JAI LAHRE	SGG22019794	SC	M	05\08\2022
12	MANISH KUMAR	SGG22002824	ST	M	05\08\2022
13	MITHLESH KUMAR	SGG22009121	ST	M	05\08\2022
14	PRITI	SGG22005565	SC	F	05\08\2022
15	RAM KUNWAR	SGG22023643	ST	F	05\08\2022
16	RAMESH KUMAR	SGG22029080	ST	M	05\08\2022
17	BHUPENDRA	SGG22002941	OBC	M	06\08\2022
18	DDVI KUNWAR	SGG22042249	ST	F	06\08\2022
19	JYOTI NIRALA	SGG22009795	SC	F	06\08\2022
20	PREETI YADAV	SGG22015215	OBC	F	06\08\2022
21	SARBINA	SGG22010346	ST	F	06\08\2022
22	ANITA	SGG22008908	ST	F	08\08\2022
23	BIFAIYA	SGG22023733	ST	F	08\08\2022
24	MAHESH KUMAR	SGG22028617	SC	M	08\08\2022
25	PREETI	SGG22015056	ST	F	08\08\2022
26	RADHE KURRE	SGG22004098	SC	M	08\08\2022
27	RAMKALI	SGG22018116	SC	F	08\08\2022
28	RINA	SGG22008159	OBC	F	08\08\2022
29	SANDHYA	SGG22030627	OBC	F	08\08\2022
30	SANIYA MANDAL	SGG22016672	GEN	F	12\8\2022
31	SATYAM PANDAY	SGG22017479	GEN	M	12\8\2022
32	YASWANT KUMAR	SGG22006774	OBC	M	12\8\2022
33	AARTI SINGH	SGG22030954	ST	F	16/08/2022
34	ALPNA	SGG22013880	ST	F	16/08/2022
35	MANISH KUMAR	SGG22012322	ST	M	16/08/2022
36	MAHAK KESHARWANI	SGG22016544	GEN	F	16\08\2022
37	PHOOLMATI	SGG22018110	ST	F	16\08\2022
38	RINU	SGG22017128	OBC	F	17\08\2022
39	SUMIT	SGG22004540	OBC	M	17\08\2022
40	SHYAM BAI	SGG22034394	ST	F	24/08/2022
41	SNEHA	SGG22005661	OBC	F	24/08/2022
42	VIKASH KUMAR	SGG22018227	ST	M	24/08/2022
43	POONAM SAHU	SGG22028200	OBC	F	25/08/2022
44	SHUBHAM SAHU	SGG22024348	OBC	M	25/08/2022


 PRINCIPAL

45	ANJANA	SGG22009343	GEN	F	26/08/2022
46	MANJU SAHU	SGG22028218	OBC	F	26/08/2022
47	NILIMA	SGG22021943	GEN	F	26/08/2022
48	SHILPE JAISWAL	SGG22042362	OBC	F	8/9/2022
49	ANITA KUMARI	SGG22021980	ST	F	9/9/2022
50	BALDEEP SINGH	SGG22044217	ST	M	9/9/2022
51	DIVYA	SGG22044684	ST	F	9/9/2022
52	KULDEEP SINGH	SGG22012861	ST	M	9/9/2022
53	NEERAJ KUMAR THAKUR	SGG22001979	OBC	M	9/9/2022
54	POOJA SAHU	SGG22028212	OBC	F	9/9/2022
55	PRITI	SGG22013130	OBC	F	9/9/2022
56	REETA	SGG22006850	ST	F	9/9/2022
57	SANJANA	SGG22043048	ST	F	9/9/2022
58	SANTOSH KUMAR	SGG22031557	OBC	M	9/9/2022
59	TULESHVAR PRASAD	SGG22007449	ST	M	9/9/2022
60	VIMLA	SGG22030899	ST	F	9/9/2022
61	DEV KUMAR	SGG22022038	ST	M	12/9/2022
62	SONU KUMAR	SGG22003697	OBC	M	12/9/2022
63	NEELU	SGG22017152	OBC	F	13/09/2022
64	PRIYANKA	SGG22017003	OBC	F	13/09/2022
65	RUPKIRAN SINGH	SGG22015576	ST	F	16\10\2022
66	AJAY SINGH	SGG22045737	ST	M	20/09/2022
67	ANJU	SGG22045390	ST	F	20/09/2022
68	LAXMAN	SGG22035808	ST	M	20/09/2022
69	NIDHI	SGG22041521	OBC	F	20/09/2022
70	PHOOL KUNWAR	SGG22045985	ST	F	20/09/2022
71	PRABHA	SGG22018291	ST	F	20/09/2022
72	SANTOSHI YADAV	SGG22045607	OBC	F	20/09/2022
73	OMWATI	SGG22045461	ST	F	23/09/2022
74	RUBEE SAHU	SGG22012409	OBC	F	26/09/2022
75	URMILA	SGG22019720	ST	F	26/09/2022
76	AASHMA SAHU	SGG22012366	OBC	F	28/09/2022
77	SANDEEP	SGG22043590	OBC	M	29/09/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

ST CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	ANJALI	SGG22017497	ST	F	03\08\2022
2	MAAN KUNWAR	SGG22003329	ST	F	04\08\2022
3	SARITA SINGH	SGG22002978	ST	F	04\08\2022
4	GAYATRI	SGG22023332	ST	F	05\08\2022
5	GULAB KUNWAR	SGG22030394	ST	F	05\08\2022
6	INDRA WATHI	SGG22017263	ST	F	05\08\2022
7	SANGEETA SINGH	SGG22017774	ST	F	05\08\2022
8	SUMITA	SGG22017495	ST	F	06\08\2022
9	HEMWATI	SGG22012900	ST	F	08\08\2022
10	KAUSHILYA	SGG22014968	ST	F	08\08\2022
11	MAMTA	SGG22023127	ST	F	08\08\2022
12	PHOOL KUNWAR	SGG22016220	ST	F	08\08\2022
13	priyanka	SGG22015343	ST	F	08\08\2022
14	PUSHPA	SGG22007562	ST	F	08\08\2022

AISHE CODE
C-00 5


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR
(CHATTISGARH)

SC CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	DHARMENDRA KUMAR	SGG22012941	SC	M	06\08\2022
2	HEMA SURYA	SGG22043028	SC	F	9/9/2022
3	MAYAWATI	SGG22041720	SC	F	12/9/2022
4	OM PRAKASH	SGG22044173	SC	M	24/08/2022
5	PONAM	SGG22011348	SC	F	08\08\2022
6	SANJAY KUMAR	SGG22021574	SC	M	08\08\2022
7	SUMAN SAGAR	SGG22008696	SC	F	31/08/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

ST CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
 COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	VIKAS	SGG22028461	ST	M	03\08\2022
2	DHARMENDRA SINGH	SGG22005061	ST	M	05\08\2022
3	DURGESH KUMAR	SGG22012628	ST	M	05\08\2022
4	MAHESH KUMAR	SGG22015091	ST	M	05\08\2022
5	RAJ KAMAL	SGG22031225	ST	M	05\08\2022
6	PUSHRAJ SINGH	SGG22015936	ST	M	06\08\2022
7	ANIL SINGH KAMRO	SGG22023196	ST	M	06\08\2022\
8	ASHOK KUMAR	SGG22028690	ST	M	08\08\2022
9	JAIPAL	SGG22020278	ST	M	08\08\2022
10	RAJENDRA PRATAP	SGG22021766	ST	M	08\08\2022
11	RAMKALI	SGG22014244	ST	F	08\08\2022
12	SANGEETA	SGG22022158	ST	F	08\08\2022
13	SARITA	SGG22014189	ST	F	08\08\2022
14	SHANI KUMAR	SGG22033302	ST	M	08\08\2022
15	SHARDA DEVI	SGG22007453	ST	F	08\08\2022
16	SHIV KUMAR	SGG22033261	ST	M	08\08\2022
17	SHYAMBA	SGG22035194	ST	F	08\08\2022
18	VIKAS KUMAR	SGG22012543	ST	M	08\08\2022
19	BARMHA SINGH	SGG22029172	ST	M	12\8\2022
20	SUNIL KUMAR	SGG22029911	ST	M	12\8\2022
21	MAHESH KUMAR	SGG22018570	ST	M	16/08/2022
22	PREETI	SGG22027038	ST	F	16/08/2022
23	RAJ KUMARI	SGG22012586	ST	F	16/08/2022
24	RANJEET	SGG22011731	ST	M	16/08/2022
25	PARWATI	SGG22011106	ST	F	24/08/2022
26	SURENDEA SINGH	SGG22026447	ST	M	24/08/2022
27	AGAJ KUMAR	SGG22022079	ST	M	25/08/2022
28	BHAGWAN SINGH	SGG22022369	ST	M	25/08/2022
29	BHUNESWAR SULANKI	SGG22024264	ST	M	25/08/2022
30	INDRAKUNWAR	SGG22024265	ST	F	25/08/2022
31	MANMATI	SGG22005775	ST	F	25/08/2022
32	SHANTI	SGG22022727	ST	F	1/9/2022
33	AJAY KUMAR	SGG22043629	ST	M	8/9/2022
34	HARMENDRA SINGH	SGG22042665	ST	M	8/9/2022

AISHE CODE
C-9695


 PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
 DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
 (CHATTISGARH)

OBC CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATE GOR Y	GEN DER	ADMISSION DATE
1	ABHISHEK KUMAR	SGG22001626	OBC	M	12/8/2022
2	ADISH KUMAR	SGG22045706	OBC	M	20/09/2022
3	AKSHAY KUMAR	SGG22017852	OBC	M	13/09/2022
4	AMAN KUMAR	SGG22045373	OBC	M	26/09/2022
5	ANKIT	SGG22003158	OBC	M	04\08\2022
6	BRIJESH KUMAR	SGG22044628	OBC	M	9/9/2022
7	DINESH KUMAR	SGG22043728	OBC	M	9/9/2022
8	GEETA	SGG22003695	OBC	F	05\08\2022
9	HARISH	SGG22044648	OBC	M	9/9/2022
10	KULDEEP KUMAR	SGG22012277	OBC	M	24/08/2022
11	MANISH KUMAR YADAV	SGG22045853	OBC	M	20/09/2022
12	MAYAWATI	SGG22016063	OBC	F	9/9/2022
13	NEHA SAHU	SGG22021490	OBC	F	05\08\2022
14	NIRMLA	SGG22004300	OBC	F	03\08\2022
15	NITESH KUMAR	SGG22011597	OBC	M	8/9/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

OBC CATEGORY FEMALE LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATE GOR Y	GEN DER	ADMISSION DATE
1	ANITA	SGG22044153	OBC	F	9/9/2022
2	ANITA	SGG22045576	OBC	F	20/09/2022
3	ANJALI	SGG22025602	OBC	F	05\08\2022
4	ANJALI THAKUR	SGG22022107	OBC	F	06\08\2022
5	ARTI	SGG22043534	OBC	F	9/9/2022
6	ASHA YADAV	SGG22026890	OBC	F	06\08\2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST-MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

GEN CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
 COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	AARTI	SGG22017186	ST	F	9/9/2022
2	AJEET KUMAR	SGG22030217	ST	M	9/9/2022
3	AJJU SINGH	SGG22010337	ST	M	9/9/2022
4	ANITA	SGG22010999	ST	F	9/9/2022
5	CHANDRAKALA	SGG22044609	ST	F	9/9/2022
6	GEETA	SGG22027598	ST	F	9/9/2022
7	MAHENDRA SINGH	SGG22043930	ST	M	9/9/2022
8	MEENA	SGG22015007	ST	F	9/9/2022
9	MEERA	SGG22024856	ST	F	9/9/2022
10	MUKESH KUMAR	SGG22005748	ST	M	9/9/2022
11	NAND KUMAR	SGG22043209	ST	M	9/9/2022
12	NANDNI SINGH	SGG22041411	ST	F	9/9/2022
13	OM PRAKASH	SGG22008111	ST	M	9/9/2022
14	PAWAN KUMAR	SGG22044087	ST	M	9/9/2022
15	PRERNA SINGH	SGG22041393	ST	F	9/9/2022
16	RAJ KUMAR	SGG22027753	ST	M	9/9/2022
17	RAVINA	SGG22016340	ST	F	9/9/2022
18	SAMALIYA	SGG22015799	ST	F	9/9/2022
19	SUNITA	SGG22044364	ST	F	9/9/2022
20	AJAY KUMAR	SGG22042115	ST	M	12/9/2022
21	MAHESH KUMAR	SGG22010926	ST	M	13/09/2022
22	NARENDRA SINGH	SGG22010313	ST	M	13/09/2022
23	SAMARU SINGH	SGG22025213	ST	M	13/09/2022
24	SHIVKESH	SGG22025304	ST	M	13/09/2022
25	VINOD KUMAR	SGG22005952	ST	M	13/09/2022
26	VIVEK SINGH	SGG22020791	ST	M	16/09/2022
27	BALKARAN SINGH	SGG22013208	ST	M	17/09/2022
28	SAURABH KUMAR	SGG22024476	ST	M	20/09/2022
29	VIND LAL	SGG22017630	ST	M	20/09/2022
30	PRINCE	SGG22011158	OBC	M	08\08\2022
31	RAJNISH KUMAR	SGG22025300	OBC	M	08\08\2022
32	RAM KUMAR	SGG22007605	OBC	M	13/09/2022
33	RAMESH KUMAR	SGG22026396	OBC	M	24/08/2022
34	SANDIP KUMAR	SGG22045734	OBC	M	23/09/2022
35	SANTOSHI YADAV	SGG22024110	OBC	F	04\08\2022
36	SARITA	SGG22019949	OBC	F	9/9/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
 DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
 (CHATTISGARH)

GEN CATEGORY LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ROLLMENT NUMB	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	KAUSHILYA	SGG22045277	ST	F	23/09/2022
2	JANKI SANDILYA	SGG22043016	ST	F	26/09/2022
3	SUNEETA	SGG22046092	ST	F	27/09/2022
4	SANIKAM	SGG22017592	ST	F	17/09/2022
5	SUKWARIYA	SGG22016101	ST	F	19/09/2022
6	PARWATI	SGG22024621	ST	F	20/09/2022
7	CHANDRAMA	SGG22024471	ST	F	12/9/2022
8	KUNTI	SGG22015440	ST	F	12/9/2022
9	BUND KUNWAR	SGG22026960	ST	F	13/09/2022
10	PRATIMA SAHU	SGG22022509	OBC	F	04\08\2022
11	REENU YADAV	SGG22012727	OBC	F	14/09/2022
12	RITIKA JAISWAL	SGG22013650	OBC	F	9/9/2022
13	SADHANA	SGG22017654	OBC	F	9/9/2022
14	SAKSHI	SGG22003456	OBC	F	05\08\2022
15	SANGEETA	SGG22030513	OBC	F	21/09/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST -MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

OTHER CATEGORY UNRESERVED LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	SARITA SAHU	SGG22021977	OBC	F	08\08\2022
2	SAYRA NISAH	SGG22045545	OBC	F	20/09/2022
3	SHRUTI JAISWAL	SGG22011296	OBC	F	16/09/2022
4	SONU KUMAR	SGG22015869	OBC	M	17\08\2022
5	SUMAN	SGG22017052	OBC	F	03\08\2022
6	VIKASH KUMAR	SGG22042142	OBC	M	16/09/2022
7	VIKASH KUMAR	SGG22045519	OBC	M	20/09/2022


AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST - MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR
(CHATTISGARH)

LIST OF APPLICANTS FOR ADMISSION IN SESSION 2022-23
 COLLEGE CODE & NAME -032 GOVT.MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN
 COURSE CODE & NAME -101 B.A. PART ONE (10+2+3) 3YDC

S.N.	NAME	ENROLLMENT NUMBER	CATEGORY	GENDER	ADMISSION DATE
1	AARTI	SGG22017186	ST	F	9/9/2022
2	ABHISHEK KUMAR	SGG22001626	OBC	M	12/8/2022
3	ADISH KUMAR	SGG22045706	OBC	M	20/09/2022
4	AGAJ KUMAR	SGG22022079	ST	M	25/08/2022
5	AJAY KUMAR	SGG22043629	ST	M	8/9/2022
6	AJAY KUMAR	SGG22042115	ST	M	12/9/2022
7	AJEET KUMAR	SGG22030217	ST	M	9/9/2022
8	AJU SINGH	SGG22010337	ST	M	9/9/2022
9	AKSHAY KUMAR	SGG22017852	OBC	M	13/09/2022
10	AMAN KUMAR	SGG22045373	OBC	M	26/09/2022
11	ANIL SINGH KAMRO	SGG22023196	ST	M	06\08\2022\
12	ANITA	SGG22010999	ST	F	9/9/2022
13	ANITA	SGG22044153	OBC	F	9/9/2022
14	ANITA	SGG22045576	OBC	F	20/09/2022
15	ANJALI	SGG22017497	ST	F	03\08\2022
16	ANJALI	SGG22025602	OBC	F	05\08\2022
17	ANJALI THAKUR	SGG22022107	OBC	F	06\08\2022
18	ANKIT	SGG22003158	OBC	M	04\08\2022
19	ARTI	SGG22043534	OBC	F	9/9/2022
20	ASHA YADAV	SGG22026890	OBC	F	06\08\2022
21	ASHOK KUMAR	SGG22028690	ST	M	08\08\2022
22	BALKARAN SINGH	SGG22013208	ST	M	17/09/2022
23	BARMHA SINGH	SGG22029172	ST	M	12\8\2022
24	BHAGWAN SINGH	SGG22022369	ST	M	25/08/2022
25	BHUNESWAR SULANKI	SGG22024264	ST	M	25/08/2022
26	BRIJESH KUMAR	SGG22044628	OBC	M	9/9/2022
27	BUND KUNWAR	SGG22026960	ST	F	13/09/2022
28	CHANDRAKALA	SGG22044609	ST	F	9/9/2022
29	CHANDRAMA	SGG22024471	ST	F	12/9/2022
30	DHARMENDRA KUMAR	SGG22012941	SC	M	06\08\2022
31	DHARMENDRA SINGH	SGG22005061	ST	M	05\08\2022
32	DINESH KUMAR	SGG22043728	OBC	M	9/9/2022
33	DURGESH KUMAR	SGG22012628	ST	M	05\08\2022
34	GAYATRI	SGG22023332	ST	F	05\08\2022
35	GEETA	SGG22003695	OBC	F	05\08\2022
36	GEETA	SGG22027598	ST	F	9/9/2022
37	GULAB KUNWAR	SGG22030394	ST	F	05\08\2022
38	HARISH	SGG22044648	OBC	M	9/9/2022
39	HARMENDRA SINGH	SGG22042665	ST	M	8/9/2022
40	HEMA SURYA	SGG22043028	SC	F	9/9/2022
41	HEMWATI	SGG22012900	ST	F	08\08\2022
42	INDRA WATII	SGG22017263	ST	F	05\08\2022
43	INDRAKUNWAR	SGG22024265	ST	F	25/08/2022
44	JAIPAL	SGG22020278	ST	M	08\08\2022

AISHE CODE
C-9695


 PRINCIPAL
 GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
 DIST - MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR
 (CHATTISGARH)

45	JANKI SANDILYA	SGG22043016	ST	F	26/09/2022
46	KAUSHILYA	SGG22014968	ST	F	08\08\2022
47	KAUSHILYA	SGG22045277	ST	F	23/09/2022
48	KULDEEP KUMAR	SGG22012277	OBC	M	24/08/2022
49	KUNTI	SGG22015440	ST	F	12/9/2022
50	MAAN KUNWAR	SGG22003329	ST	F	04\08\2022
51	MAHENDRA SINGH	SGG22043930	ST	M	9/9/2022
52	MAHESH KUMAR	SGG22015091	ST	M	05\08\2022
53	MAHESH KUMAR	SGG22018570	ST	M	16/08/2022
54	MAHESH KUMAR	SGG22010926	ST	M	13/09/2022
55	MAMTA	SGG22023127	ST	F	08\08\2022
56	MANISH KUMAR YADAV	SGG22045853	OBC	M	20/09/2022
57	MANMATI	SGG22005775	ST	F	25/08/2022
58	MAYAWATI	SGG22016063	OBC	F	9/9/2022
59	MAYAWATI	SGG22041720	SC	F	12/9/2022
60	MEENA	SGG22015007	ST	F	9/9/2022
61	MEERA	SGG22024856	ST	F	9/9/2022
62	MUKESH KUMAR	SGG22005748	ST	M	9/9/2022
63	NAND KUMAR	SGG22043209	ST	M	9/9/2022
64	NANDNI SINGH	SGG22041411	ST	F	9/9/2022
65	NARENDRA SINGH	SGG22010313	ST	M	13/09/2022
66	NEHA SAHU	SGG22021490	OBC	F	05\08\2022
67	NIRMLA	SGG22004300	OBC	F	03\08\2022
68	NITESH KUMAR	SGG22011597	OBC	M	8/9/2022
69	OM PRAKASH	SGG22044173	SC	M	24/08/2022
70	OM PRAKASH	SGG22008111	ST	M	9/9/2022
71	PARWATI	SGG22011106	ST	F	24/08/2022
72	PARWATI	SGG22024621	ST	F	20/09/2022
73	PAWAN KUMAR	SGG22044087	ST	M	9/9/2022
74	PHOOL KUNWAR	SGG22016220	ST	F	08\08\2022
75	PONAM	SGG22011348	SC	F	08\08\2022
76	PRATIMA SAHU	SGG22022509	OBC	F	04\08\2022
77	PREETI	SGG22027038	ST	F	16/08/2022
78	PRERNA SINGH	SGG22041393	ST	F	9/9/2022
79	PRINCE	SGG22011158	OBC	M	08\08\2022
80	priyanka	SGG22015343	ST	F	08\08\2022
81	PUSHPA	SGG22007562	ST	F	08\08\2022
82	PUSHRAJ SINGH	SGG22015936	ST	M	06\08\2022
83	RAJ KAMAL	SGG22031225	ST	M	05\08\2022
84	RAJ KUMAR	SGG22027753	ST	M	9/9/2022
85	RAJ KUMARI	SGG22012586	ST	F	16/08/2022
86	RAJENDRA PRATAP	SGG22021766	ST	M	08\08\2022
87	RAJNISH KUMAR	SGG22025300	OBC	M	08\08\2022
88	RAM KUMAR	SGG22007605	OBC	M	13/09/2022
89	RAMESH KUMAR	SGG22026396	OBC	M	24/08/2022
90	RAMKALI	SGG22014244	ST	F	08\08\2022
91	RANJEET	SGG22011731	ST	M	16/08/2022
92	RAVINA	SGG22016340	ST	F	9/9/2022
93	REENU YADAV	SGG22012727	OBC	F	14/09/2022
94	RITIKA JAISWAL	SGG22013650	OBC	F	9/9/2022

AISHE CODE


PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
DIST. MANENDRACH. CHIRIMIRI BHARATPUR

95	SADHANA	SGG22017654	OBC	F	9/9/2022
96	SAKSHI	SGG22003456	OBC	F	05\08\2022
97	SAMALIYA	SGG22015799	ST	F	9/9/2022
98	SAMARU SINGH	SGG22025213	ST	M	13/09/2022
99	SANDIP KUMAR	SGG22045734	OBC	M	23/09/2022
100	SANGEETA	SGG22022158	ST	F	08\08\2022
101	SANGEETA	SGG22030513	OBC	F	21/09/2022
102	SANGEETA SINGH	SGG22017774	ST	F	05\08\2022
103	SANIKAM	SGG22017592	ST	F	17/09/2022
104	SANJAY KUMAR	SGG22021574	SC	M	08\08\2022
105	SANTOSHI YADAV	SGG22024110	OBC	F	04\08\2022
106	SARITA	SGG22014189	ST	F	08\08\2022
107	SARITA	SGG22019949	OBC	F	9/9/2022
108	SARITA SAHU	SGG22021977	OBC	F	08\08\2022
109	SARITA SINGH	SGG22002978	ST	F	04\08\2022
110	SAURABH KUMAR	SGG22024476	ST	M	20/09/2022
111	SAYRA NISAH	SGG22045545	OBC	F	20/09/2022
112	SHANI KUMAR	SGG22033302	ST	M	08\08\2022
113	SHANTI	SGG22022727	ST	F	1/9/2022
114	SHARDA DEVI	SGG22007453	ST	F	08\08\2022
115	SHIV KUMAR	SGG22033261	ST	M	08\08\2022
116	SHIVKESH	SGG22025304	ST	M	13/09/2022
117	SHRUTI JAISWAL	SGG22011296	OBC	F	16/09/2022
118	SHYAMBA	SGG22035194	ST	F	08\08\2022
119	SONU KUMAR	SGG22015869	OBC	M	17\08\2022
120	SUKWARIYA	SGG22016101	ST	F	19/09/2022
121	SUMAN	SGG22017052	OBC	F	03\08\2022
122	SUMAN SAGAR	SGG22008696	SC	F	31/08/2022
123	SUMITA	SGG22017495	ST	F	06\08\2022
124	SUNEETA	SGG22046092	ST	F	27/09/2022
125	SUNIL KUMAR	SGG22029911	ST	M	12\8\2022
126	SUNITA	SGG22044364	ST	F	9/9/2022
127	SURENDEA SINGH	SGG22026447	ST	M	24/08/2022
128	VIKAS	SGG22028461	ST	M	03\08\2022
129	VIKAS KUMAR	SGG22012543	ST	M	08\08\2022
130	VIKASH KUMAR	SGG22042142	OBC	M	16/09/2022
131	VIKASH KUMAR	SGG22045519	OBC	M	20/09/2022
132	VIND LAL	SGG22017630	ST	M	20/09/2022
133	VINOD KUMAR	SGG22005952	ST	M	13/09/2022
134	VIVEK SINGH	SGG22020791	ST	M	16/09/2022

AISHE CODE
C-9695


PRINCIPAL
M.A. MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN
BHOJIPUR, BHARATPUR

2.1.1 Enrolment Percentage

2.1.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years(exclusive of supernumerary seats)

Year - 1 (2018-19)													
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A.	101	90	69	11	29	13	31	6	1	24	13	31	0
B.SC.	150	60	41	7	20	8	20	5	0	13	8	20	0
B.COM.	121	60	9	7	20	8	20	5	0	0	0	9	0
Year - 2 (2019-20)													
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A.	101	90	74	11	29	13	31	6	7	26	10	31	0
B.SC.	150	60	36	7	20	8	20	5	3	10	3	20	0
B.COM.	121	60	6	7	20	8	20	5	0	0	0	6	0
Year - 3 (2020-21)													
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A.	101	90	68	11	29	13	31	6	0	28	9	31	0
B.SC.	150	60	41	7	20	8	20	5	0	20	1	20	0
B.COM.	121	60	10	7	20	8	20	5	0	0	0	10	0
Year - 4 (2021-22)													
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A.	101	90	90	11	29	13	31	6	3	29	13	45	0
B.SC.	150	60	60	7	20	8	20	5	4	20	8	28	0
B.COM.	121	60	24	7	20	8	20	5	0	0	4	20	0
Year - 5 (2022-23)													
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					Number of students admitted from the reserved category				
				SC	ST	OBC	Gen	Others	SC	ST	OBC	Gen	Others
B.A.	101	150	134	18	48	21	51	12	7	48	21	51	7
B.SC.	150	90	77	11	29	13	31	6	6	29	13	29	0
B.COM.	121	60	14	7	20	8	20	5	0	0	0	14	0

नोट :- आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राएँ न मिलने पर उनके स्थान पर अन्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया।